ई-मेल

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–487/9–9–15–10ज/15

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2015

विषय– उ0प्र0 नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) सम्बन्धी आदर्श उपविधि सम्बन्धी दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–433/नौ–9–14–277ज/95टी.सी.2, दिनांक 23.04.14 एवं निदेशक, स्थानीय निकाय का पत्र संख्या–8/3097–सा0, दिनांक 30 मई, 2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों (विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) सम्बन्धी आदर्श उपविधि सम्बन्धी दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आदर्श उपविधि माडल को दृष्टिगत रखते हुए समस्त नागर निकायों को Assessment and Collection of Tax on Advertisement हेतु Model Bylaws बनाये जाने के निर्देश दिये गये है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–541 तथा नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 में उपविधि बनाने का पूर्णतः अधिकार नगर निगम तथा नगर पालिका को दिया गया है। अधिनियम में जिन प्राविधानों का उल्लेख किया गया है, उनमें से किसी भी प्राविधान में राज्य सरकार को नगर निगम या नगर पालिका हेतु Assessment and Collection of Tax on Advertisement हेतु Model Bylaws बनाने की शक्ति नहीं प्रदान की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ, बेन्च लखनऊ द्वारा अनुराग बंसल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.04.2011 में भी कहा है कि राज्य सरकार नगर निगम अधिनियम की धारा–206 व अधिनियम के अन्य विधिक उपबन्धों का पालन किये बिना सभी निगम के लिये नियम नहीं बना सकती है।

अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में (विज्ञापन कर का निर्धारण और वसूली) के सम्बन्ध में आदर्श उपविधि तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से एक माह में कार्यवाही सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या शासन को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-y

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अपने अधिनस्त नागर निकायों में कार्यवाही कराये जाने का कष्ट करें।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

go-y